रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256536
CG-DL-E-22082024-256536

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
No. 468] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 507(अ).— केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियम के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, अपर सचिव (पौध संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल fa.kidwai@nic.in के माध्यम से अग्रेसित किया जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में:-

(1) उप-नियम (1ख) में, “या वर्तमान लाइसेंस का नवीकरण” शब्द को हटा दिया जाएगा।

(2) उप-नियम (1ग) में, "नब्बे" शब्द के स्थान पर "तीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) उप-नियम 4 के खंड (iii) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि तिलचट्टे, मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमलों के नियंत्रण के लिए घरेलू उपयोग में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस में किसी अतिरिक्त कीटनाशक के लिए इस प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।"

(4) उपनियम (4 क) में खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(v) मुख्य प्रमाणपत्र जोकि खंड (i) से (iv) में उल्लिखित है, केवल तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमलों के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन हेतु सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों की बिक्री, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन हेतु लाइसेंस के लिए लागू नहीं है ”

3. नियम 18 के उपनियम (1) में खंड (प) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

परन्तु यह कि क्यूआर कोड को सामान्यतः घरेलू प्रयोजन (तिलचट्टे, मच्छर, मक्खी और खटमल के नियंत्रण के लिए) में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के खुदरा पैक (प्राथमिक या द्वितीयक पैक, जैसा भी मामला हो) पर उपयुक्त स्थान पर लगाया जा सकता है, जहां मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से क्यूआर कोड को स्कैन करने पर विनिर्माण कंपनी का एक वेब लिंक या यूआरएल खोलने के लिए एक लिंक दिखाई देगा, जिसे दबाने या क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को लेबल और पत्रक की पूरी विशिष्ट जानकारी मिल जाएगी तथा क्यूआर कोड में नियम 18 के उपनियम (1) की समस्त विषय-वस्तु शामिल होगी।

4. उक्त नियमों में, "प्रथम अनुसूची" में "प्रपत्र II, केवल तिलचट्टे, मच्छरों, घरेलू मक्खियों और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन हेतु सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शन करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन " को अंतःस्थापित किया जाएगा।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

फॉर्म II

(4) केवल तिलचट्टे, मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमलों के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने का लाइसेंस

[नियम 10 का उपनियम (1) का संदर्भ लें]

सेवा में

लाइसेंसिंग प्राधिकरण,

----

1. आवेदक का नाम, पता और ईमेल:
2. उस परिसर का पूरा पता (जिसमें गली का नाम, पिन कोड आदि शामिल है) जहां यह कीटनाशक है।

   (क) भण्डारित/स्टॉक किया गया है:

   (ख) बेचा गया या बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है:

3. लाइसेंस(ओं) का पूर्ण विवरण, यदि आवेदक के नाम पर किसी अन्य राज्य द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में जारी किया गया हो:
4. आवेदक द्वारा भुगतान किये गये आवेदन शुल्क का विवरण:
5. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

घोषणा

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(क) मैं ....पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि आवेदन में दी गई जानकारी तथा इसके साथ संलग्न अनुलग्नक और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि यदि कोई जानकारी या उसका कोई भाग किसी भी स्तर पर गलत, नकली या मिथ्या पाया जाता है या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(ख) मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे पास कीटनाशकों के भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं हैं, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे।

(ग) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक को उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हुए बिना अपने कब्जे में नहीं लूंगा।

(घ) मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता से कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने तथा इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ, जिसकी सत्यापित प्रति इसके साथ संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लाइसेंस में दी गई शर्तों का पालन करूँगा और ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

स्थान……………

तारीख……………..

……………………………………

आवेदक के हस्ताक्षर एवं मुहर

5. उक्त नियमों में, "प्रथम अनुसूची" में, "प्रपत्र ।।।, केवल तिलचट्टे, मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, भंडारण करने या बिक्री के लिए प्रदर्शन करने का लाइसेंस" अंत:स्थापित किया जाएगा।

UNCOMPLYCATE Simplifying compliance

फॉर्म III

(लाइसेंसिंग अधिकारी के पत्र पर)

केवल तिलचट्टे, मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमलों के नियंत्रण के लिए घरेलू प्रयोजन में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने का लाइसेंस ।

[नियम 10 का उपनियम (4) का संदर्भ लें]

1. लाइसेंस संख्या..........................

सामान्यतः घरेलू उपयोग में आने वाले कीटनाशकों को बेचने, भण्डारित करने या बिक्री हेतु प्रदर्शित करने का लाइसेंस, परिसर में स्थित....................................... (पूरा पता पिन कोड सहित)

मेसर्स (नाम, पूरा पता, ई-मेल आदि)

.... को प्रदान किया जाता है।

2. लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत वर्तमान में लागू नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती हैं और साथ ही पंजीकरण प्रमाणपत्र और अन्य शर्तों पर भी लागू होगा जैसा कि नीचे बताया गया है।

लाइसेंसिंग अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

शर्तें

1. यह लाइसेंस उस परिसर में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया जा रहा है और इसे कीटनाशक निरीक्षक, लाइसेंसिंग अधिकारी या इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. लाइसेंसधारी को कीटनाशक के पंजीकरण की प्रत्येक शर्त का ईमानदारी से पालन करना होगा अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

3. लाइसेंसधारी को कीटनाशक अधिनियम, 1968 तथा उसके अधीन बनाए गए वर्तमान नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

4. लाइसेंसधारी को परिशिष्ट 'क' के अनुसार प्रारूप में 'समाप्त तिथि वाले कीटनाशकों' का रिकार्ड अलग से रखना होगा।

5. लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।

लाइसेंसिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

[मि. सं. 13035/08/2023-पीपी-I]

फैज़ अहमद किदवई,अपर सचिव (पीपी)

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (ई) दिनांक 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा इसमें सा.का.नि. 228 (ई) दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

UNCOMPLYCATE
Simplifying compliance

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

G.S.R. 507(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Additional Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at fa.kidwai@nic.in

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), In Rule 10 :-

(1) In sub-rule (1B), the word "or renewal of existing license" shall be omitted.

(2) In sub-rule (1C), for the word "ninety", the word "thirty" shall be substituted.

(3) In sub-rule 4, clause (iii) the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided no such endorsement for any additional insecticide is required in the license to sell, stock or exhibit for sale of insecticides commonly used for house hold purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs"

(4) In sub-rule (4A) after clause (iv) the following clause shall be inserted namely:-

"(v) The principal certificate as stated in clause (i) to (iv) is not applicable for the license to sell, stock or exhibit for sale of insecticides commonly used for house hold purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs only"

3. In rule 18, sub rule (1), after clause (u), the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that QR Code may be placed on retail pack (Primary or Secondary pack as the case may be) of insecticides commonly used for house hold purpose (for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs) at suitable place where on scanning the QR code by scanning equipment like mobile phone, a web link or link for opening the URL of the Manufacturing company will appear, which on pressing or clicking, will take the user to the entire unique information of leaflet and the QR code shall contain all the contents of sub rule (1) of rule 18.

4. In the said rules, in the "FIRST SCHEDULE" the "FORM II, Application for Grant of License to Sell, Stock or Exhibit for sale Insecticides commonly used for House hold purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs only" shall be inserted.

UNCOMPLYCATE EHS Simplifying Compliance

FORM II

(4) License to Sell, Stock or Exhibit for sale Insecticides commonly used for Household purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs only

[See Sub-rule (1) of rule 10]

To
The Licensing Authority,

----

1. Name, address and email of the applicant:

2. Complete address (including name of the lane, PIN Code, etc.) of the premises, where the insecticide(s) shall be

(a) stored/stocked:
(b) sold or exhibited for sale:

3. Full particulars of license(s), if issued in the name of the applicant by any other state in the area of their jurisdiction:
4. Particulars of the application fee paid by the applicant:
5. Any other relevant information:

Signature of the applicant with seal

DECLARATION

(Strike out which is not applicable)

(a) I.............................s/d/o do hereby solemnly verify that the information given in the application and the annexures and statements accompanying it is correct and complete to the best of my knowledge and belief and that nothing has been concealed. I clearly understand that this license is liable to be cancelled, if any information, or part thereof, is found to be wrong, fake or false at any stage or any condition of license is violated.

(b) I declare that we have adequate space and facilities to stock insecticides, so as to maintain their quality on shelf.

(c) I also declare that I shall not take possession of any stock without satisfying myself with the quality thereof.

(d) I further declare that I am making this application in my capacity as...............and that I am competent to make this application and verify it by virtue of................, an attested copy of which is enclosed herewith. I further declare that I shall abide by the conditions laid down in the license and failure to do so shall render the license liable to cancellation.

Place……………
Date……………..

…………..……………………….
Signature of the applicant with seal

5. In the said rules, in the "FIRST SCHEDULE" the "FORM III, License to Sell, Stock or Exhibit for sale Insecticides commonly used for Household purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs only" shall be inserted.

UNICOMPLYCATE Simplifying compliance

FORM III

(On the letter of the Licensing Officer)

License to Sell, Stock or Exhibit for sale Insecticides commonly used for Household purpose for the control of cockroaches, mosquitoes, housefly and bed bugs only.

[See sub-rule (4) of rule 10**]**

1. License Number..........................

License to sell, stock or exhibit for sale insecticide(s) commonly used for Household purpose only in the premises situated at

....

(Complete address along with PIN Code)

is granted to M/s (Name, Complete Address, e-mail etc.)

....

2. The license is subject to such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Insecticides Act, 1968 as well as the conditions on the certificate of registration and others as stated below.

Signature of the Licensing Officer Seal

CONDITIONS

1. This licence shall be displayed in the prominent place in the premises for which the licence is being issued and shall be produced for inspection as and when required by an Insecticide Inspector, licensing officer or any other officer authorised by the Government in this regard.

2. The licensee shall scrupulously comply with each and every condition of registration of the insecticide(s), failing which the license is liable to be cancelled.

3. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made there under for the time being in force.

4. The licensee shall maintain the record of 'date expired insecticides' separately in the format as per Appendix A.

5. Any other condition(s) as specified by the licensing officer.

Signature of the licensing officer

[F. No. 13035/08/2023-PP-I]

Faiz Ahmed Kidwai, Addl Secy. (PP)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended vide G.S.R. 228 (E) dated 22th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA